राजस्थान सरकार

।। कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

(अपीलीय प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अपील संख्या 09 / 2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अनिल पुरोहित पुत्र श्री स्व0 मूलचन्द पुरोहित निवासी – सोनारों की घाटी, सर्राफा बाजार, जगदीश मंदिर के आगे, जोधपुर		जिला रसद अधिकारी जैसलमेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

:: निर्णय :: **दिनांक : 24 जनवरी, 2017**

01. अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि प्रत्यर्थी ने उसके आवेदन दिनांक 19 नवम्बर, 2016 के द्वारा चाही गई सूचनाएं निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

02. अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आप द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में किन कारणों से उसके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसका कारण स्पष्ट करे एवं क्यों न इस अपील को स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इस अपील का निस्तारण किया जावे। अपीलार्थी को भी सूचित किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा आपको वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में आप यदि कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहे तो प्रस्तुत करें।

03. अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी के द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2016 को प्रस्तुत आवेदन पत्र (कार्यालय जिला रसद अधिकारी जैसलमेर में प्राप्त दिनांक 24 नवम्बर, 2016) से सूचना प्रदान करने का निवेदन किया गया। जिला रसद अधिकारी जैसलमेर ने यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 18 दिसम्बर, 2016 को सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में 54 रूपये का लागत शुल्क जमा कराने के लिए लिखा गया, परन्तु अपीलार्थी ने शुल्क जमा नहीं कराया, इसलिए उन्हें सूचना नहीं दी गई है।

04. अपीलार्थी का आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस में शुल्क की मांग की जा सकती है और यह मांग पत्र की प्रति भी अपीलोत्तर के साथ संलग्न है, की गई है। अपीलार्थी से शुल्क मांगा गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (3) (क) के अन्तर्गत यदि शुल्क की मांग आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि में कर ली जाती है तो आवेदक का यह कर्तव्य है कि वह सूचना प्राप्ति हेतु जो राशि मांगी जाए वह जमा कराए, जिससे कि सूचना दी जा सकें।

05. अपीलार्थी द्वारा धारा 7 (3) (क) के अन्तर्गत शुल्क जमा नहीं कराने पर प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रेषित नहीं की है तो कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं है और यह खारिज होने योग्य है। अस्तु, वर्तमान अपील अस्वीकार की जाती है।

06. मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर आज दिनांक 24 जनवरी, 2017 को निर्णय किया गया।

07. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित की जावे।

अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधि. 2005 कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर